कार्यालय
जिला आयुर्वेद अधिकारी, जिला–नारायणपुर (छ.ग.)

Phone+Fax No.- 07781-252262 E-mail ID- cgayushnarayanpur@gmail.com

क्रमांक/स्था./2023/64 नारायणपुर, दिनांक 07/06/2023

// प्रेस विज्ञप्ति //

संचालनालय, आयुष, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छत्तीसगढ़, रायपुर के पत्र क्रमांक 23-2/1/अराज/2023/1675 नवा रायपुर, दिनांक 12.05.2023 के निर्देशानुसार कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी, जिला नारायणपुर में चतुर्थ श्रेणी चौकीदार, वार्ड ब्यॉय, किचन सर्वेंट एवं मसाजर (पुरूष/महिला) के रिक्त पदों की सीधी भर्ती द्वारा किये जाने हेतु निर्धारित योग्यता धारक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से **कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी, जिला-नारायणपुर, कलेक्टोरेट बिल्डिंग प्रथम तल कक्ष क्रमांक (85-86)** के पते में **दिनांक 20 जून 2023 सायं 05:00** बजे तक आमंत्रित किये जाते है। आवेदन कार्यालय में उपस्थित होकर भी जमा किये जा सकेंगे। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नही किये जायेंगे।

विज्ञापन की विस्तृत विवरण जिले के वेबसाईट **www-narayanpur.gov.in** में अपलोड एवं जिला कार्यालय नारायणपुर के सूचना पटल पर भी उपलब्ध है।

जिला आयुर्वेद अधिकारी
जिला-नारायणपुर (छ.ग.)

पृ0क्र./स्था./2023/65 नारायणपुर, दिनांक 07/06/2023

प्रतिलिपि :-

1. सहायक संचालक, जिला जनसम्पर्क कार्यालय, नारायणपुर ,जिला-नारायणपुर को स्थानीय एवं राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में लगातार दो दिनों तक प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, NIC को जिले के वेबसाईट में अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

जिला आयुर्वेद अधिकारी
जिला-नारायणपुर (छ.ग.)

कार्यालय
जिला आयुर्वेद अधिकारी, जिला–नारायणपुर (छ.ग.)

Phone+Fax No.- 07781-252262 E-mail ID- cgayushnarayanpur@gmail.com

क्रमांक/स्था./2023/66 नारायणपुर, दिनांक /06/2023

// रिक्त पदों की सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन //

संचालनालय, आयुष, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छत्तीसगढ़, रायपुर के पत्र क्रमांक 23-2/1/अराज/2023/1675 नवा रायपुर, दिनांक 12.05.2023 के निर्देशानुसार कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी, जिला नारायणपुर में चतुर्थ श्रेणी चौकीदार, वार्ड ब्यॉय, किचन सर्वेंट एवं मसाजर (पुरूष/महिला) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थियों से सीधी भर्ती हेतु आवेदन **दिनांक 20 जून 2023 सायं 05:00** बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किये जाते है। आवेदन कार्यालय में उपस्थित होकर भी जमा किये जा सकेंगे। पदों का विवरण नीचे तालिका में दर्शित है :-

क्र.	पदनाम (चतुर्थ श्रेणी संवर्ग)	वेतनमान	श्रेणीवार आरक्षित पदों का विवरण				योग
			अनारक्षित	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.वर्ग	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	चौकीदार	वेतन मेट्रिक्स में लेबल-1	01	0	0	0	01
2	वार्ड ब्यॉय	वेतन मेट्रिक्स में लेबल-1	0	01	0	0	01
3	किचन सर्वेंट	वेतन मेट्रिक्स में लेबल-1	01	0	0	0	01
4	मसाजर (पुरूष-01,महिला-01)	वेतन मेट्रिक्स में लेबल-1	0	02 (पुरूष-01,महिला-01)	0	0	02
		योग :-	02	03	0	0	05

1. **चौकीदार पद हेतु शैक्षणिक अर्हताएं** :- शासन अथवा शासन से मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से आठवी परीक्षा उत्तीर्ण।
2. **वार्ड ब्वॉय पद हेतु शैक्षणिक अर्हताएं** :- शासन अथवा शासन से मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से आठवी परीक्षा उत्तीर्ण।
3. **किचन सर्वेंट पद हेतु शैक्षणिक अर्हताएं** :- शासन अथवा शासन से मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से आठवी परीक्षा उत्तीर्ण।
4. **मसाजर (पुरूष/महिला) पद हेतु शैक्षणिक अर्हताएं :-**
   01. शासन अथवा शासन से मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से आठवी परीक्षा उत्तीर्ण।
   02. अभ्यर्थी शारीरिक रूप से अपंग न हो।
   03. पुरूष अभ्यर्थी की उंचाई 165 से.मी. से कम न हो।/महिला अभ्यर्थी की उंचाई 152 से.मी. से कम न हो।
   04. पुरूष एवं महिला अभ्यर्थी उंचाई एवं आयु के समानुपात में शारीरिक वजन चिकित्सा मानक के अनुसार होना आवश्यक है।
   05. किसी शासकीय संस्था में मसाजर के रूप में कार्य करने का न्युनतम 02 पूर्ण वर्ष का अनुभव।

02. नियम व शर्तें :-

1. यह विज्ञापन विभागीय भर्ती नियमों के अध्यधीन होगी।
2. उपरोक्त विज्ञापित पदों पर की जाने वाली नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 में पारित होने वाली अंतिम आदेश एवं माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा उक्त संबंध में पारित आदेशों के अध्यधीन होगी।
3. **स्थानीय निवासी :-** आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल/स्थानीय निवासी होने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त निवास प्रमाण आवेदन के दौरान प्रस्तुत करना होगा।
4. **परिवीक्षा अवधि :-** चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी।

   (क) चयनित अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि में छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के वित्त निर्देश 21/2020 के अनुसार निम्नानुसार स्टायपेण्ड देय होगा।

   प्रथम वर्ष - पद के वेतनमान न्यूनतम का 70 प्रतिशत ।
   द्वितीय वर्ष - पद के वेतनमान न्यूनतम का 80 प्रतिशत ।
   तृतीय वर्ष - पद के वेतनमान न्यूनतम का 90 प्रतिशत ।

   परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होगा।

   (ख) परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर जब वह सेवा या पद पर स्थाई किया जाता है, तब शासकीय सेवक का वेतन, उस सेवा या पद को लागू समयमान का न्यूनतम नियत किया जायेगा।
5. **आवश्यक दस्तावेज :-** अभ्यर्थी को आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, प्रमाण पत्र, अंकसूची, सक्षम स्थायी जाति प्रमाण पत्र (स्थायी सामाजिक स्थिति प्रमाण पत्र) प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। मसाजर (पुरूष/महिला) हेतु शासकीय संस्था में मसाजर के रूप में कार्य करने का न्युनतम 02 पूर्ण वर्ष का अनुभव अनिवार्य है केवल कार्यालय/विभाग प्रमुख द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। समस्त दस्तावेज की स्व-प्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ एवं मूल दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में उल्लेखित विवरण अनुसार आयु सत्यापन हेतु शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र/अंक सूची संलग्न करना अनिवार्य है।

6. <u>आयु सीमा :-</u> दिनांक 01.01.2023 की स्थिति में उम्मीदवार की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिये। **छ.ग.शासन, समान्य शासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 अटल नगर, रायपुर दिनांक 30.01.2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयुसीमा (35 वर्ष) में 05 की छूट देय होगी।** अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 5 वर्ष, महिलाओं के लिए 10 वर्ष तथा सभी प्रवर्ग के लिए सभी प्रकार के छूट सहित अधिकतम आयु सीमा की छूट 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **दिव्यांगजन** उम्मीदवार को 3 वर्ष की आयु सीमा में अतिरिक्त छूट होगी परन्तु यह छूट 45 वर्ष की आयु सीमा तक ही सीमित होगा।

7. आरक्षित वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.) के सभी अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित की प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी।

8. एक से अधिक रिक्त पदों के भर्ती के इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

9. अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट आकार के फोटो चिपकाएं।

10. किसी विवाहित महिला उम्मीदवारों द्वारा अपने नाम/उपनाम में परिवर्तन किया गया हो, तो परिवर्तन संबंधी दस्तावेज/शपथ पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। मूल दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना होगा।

11. अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत करें, अन्यथा आवेदन अमान्य कर दिया जावेगा।

12. अपूर्ण अस्पष्ट तथा त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र के संबंध में पृथक से कोई सूचना जारी नहीं की जावेगी एवं ऐसे समस्त आवेदन अमान्य कर दिये जायेंगे।

13. लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, आवेदक का नाम एवं आवेदक का वर्ग एवं पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए।

14. प्राप्त आवेदनों में से पात्र एवं अपात्र पाये गये आवेदकों की सूची (अनुपयुक्ता का कारण दर्शाते हुए) जिले के वेबसाईट www.narayanpur.gov.in में अपलोड किया जायेगा। आवेदकों की प्रवेश पत्र वेबसाईट पर अपलोड किये जाने की सूचना तथा परीक्षा की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना उम्मीदवारों को स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से दी जावेगी। आवेदक अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे- आधार कार्ड/ड्रायविंग लायसेंस/पेन कार्ड/मतदाता परिचय पत्र/स्माट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेजों सहित परीक्षा हेतु उपस्थित होंगे। किसी भी आवेदक को अन्य किसी भी रूप से परीक्षा हेतु सूचना/प्रवेश पत्र/बुलावा पत्र पृथक से नहीं भेजा जावेगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य नहीं होगा।

15. यह विज्ञप्ति बिना किसी कारण बताये किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।

16. <u>**चयन प्रक्रिया :-**</u>

(अ) चौकीदार, वार्डब्यॉय, किचन सर्वेंट :-

08 वीं कक्षा के प्राप्तांकों के आधार रिक्त पदों के 10 गुना अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा। अभ्यर्थियों के परीक्षाफल में ग्रेडिंग सिस्टम पाये जाने पर 01:10 के अनुपात में बदलाव किया जा सकेगा। इस स्थिति में किसी भी एक ग्रेड के तथा उस ग्रेड के समकक्ष प्राप्तांकों वाले सभी उम्मीदवारों को परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा। जिसमें 100 अंक के बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे। बहुवैकल्पिक परीक्षा में छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान तथा सामान्य गणित के प्रश्न पूछे जायेंगे। अंतिम चयन केवल परीक्षा के प्राप्तांक के आधार किया जावेगा।

(ब) मसाजर (पुरूष-1, महिला-1)

08 वीं कक्षा के प्राप्तांकों तथा शासकीय संस्था में मसाजर के रूप में कार्य करने का न्युनतम 02 पूर्ण वर्ष का अनुभव (अनुभव प्रमाण पत्र कार्यालय/विभाग प्रमुख द्वारा जारी मान्य होगा) के आधार पर कुल रिक्त पदो के 10 गुना अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जायेगा। अभ्यर्थियों के परीक्षाफल में ग्रेडिंग सिस्टम पाये जाने पर 01:10 के अनुपात में बदलाव किया जा सकेगा। इस स्थिति में किसी भी एक ग्रेड के तथा उस ग्रेड के समकक्ष प्राप्तांकों वाले सभी उम्मीदवारों को इस परीक्षण हेतु आमंत्रित किया जावेगा। सर्वप्रथम अभ्यर्थियों का ऊंचाई एवं आयु के समानुपात में शारीरिक वजन, चिकित्सा मानक के अनुसार परीक्षण किया जावेगा जिसमें सफल अभ्यार्थियों का लिखित परीक्षा ली जावेगी, जिसमें 100 अंक के बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे। बहुवैकल्पिक परीक्षा में छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान तथा सामान्य गणित के प्रश्न पूछे जायेंगे। अंतिम चयन केवल परीक्षा के प्राप्तांक के आधार किया जावेगा।

17. विज्ञापन/आवेदन का प्रारूप कार्यालय कलेक्टर के सूचना फलक पर एवं नारायणपुर जिले के वेबसाईट पर भी देखा जा सकता है।
18. आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लेवें विज्ञापन में दिये गये निर्देशों/नियमों, शर्तो को पूरा करने पर ही निर्धारित प्रारूप में आवेदन करें। आवेदक सावधानी पूर्वक जानकारी आवेदन में अंकित करें, आवेदन त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण होने पर आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। इसके लिये नियोक्ता जिम्मेदार नहीं होगा।
19. दस्तावेजों की कमी को प्रथम दावा-आपत्ति के अंतिम तिथि तक पूरा किया जा सकेगा।
20. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता निर्धारित की जावेगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसको वरीयता प्रदान की जावेगी।
21. परीक्षा के लिये अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा केन्द्र तक जाना होगा। इसके लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
22. शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची/प्रमाण पत्र (निवास/जाति) एवं अन्य सुसंगत दस्तावेज सत्यापन के समय मूलप्रति सहित प्रस्तुत करना होगा।
23. चयनित अभ्यर्थियों को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से चिकित्सा प्रमाण पत्र नियुक्ति के एक माह के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
24. आवेदित किये गये विवरण को पूरी तरह से जांच कर लेंवे। एक बार आवेदन कर दिये जाने के बाद परीक्षा के पूर्व या परीक्षा परिणाम के बाद त्रुटि सुधार के लिए किया गया कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
25. <u>अनर्हता :-</u> छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी :-

    (I) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हो और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पति जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी।

    परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण है, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

    (II) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ्य और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए।

    (III) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(IV) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

26. आवेदन के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हे परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता हैं या नहीं यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद अनर्ह पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है, तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।

27. प्रतीक्षा सूची :- प्रतीक्षा सूची घोषित परीक्षा परिणाम दिनांक से 01 वर्ष के लिये वैध होगी।

28. अभ्यर्थी के चयन उपरांत यदि उनके द्वारा प्रस्तुत कोई जानकारी असत्य/मिथ्या पायी जाती है, तो नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी तथा संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

29. विज्ञापित पदों पर भर्ती हेतु भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन व विविध प्रवर्गो - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित व जारी किए गए आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट संबंधी निर्देशों, नियमों व शर्तो का पालन किया जाएगा।

30. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार की वाद पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

07.08.2023

जिला आयुर्वेद अधिकारी
जिला-नारायणपुर (छ.ग.)

- : चौकीदार/वार्ड ब्यॉय/किचन सर्वेंट/मसाजर (पुरूष/महिला) : -

आवेदन पत्र का प्रारूप

स्वप्रमाणित नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा करें।

प्रति,

जिला आयुर्वेद अधिकारी
कलेक्टोरेट बिल्डिंग प्रथम तल
कक्ष क्रमांक (85-86)
जिला-नारायणपुर (छ.ग.)

01. आवेदित पद का नाम :..

02. आवदेक का पूरा नाम (हिन्दी में) :..

03. आवदेक का पूरा नाम (अंग्रेजी में) :..

04. पिता/पति का नाम :..

05. जन्म तिथि (अंकों में) :..

(शब्दों में) :..

06. 01.01.2023 को आयु :.......................... वर्ष .... माह .... दिन

07. लिंग (महिला/पुरूष/तृतीय लिंग) :..

08. आवेदक की जाति (सामान्य/अपिव/अजा/अजजा):..
(सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

09. आयु सीमा में छूट चाहतें है (हां/नही) :..

10. यदि छूट चाहते है तो छूट का आधार :..
(प्रमाण पत्र संलग्न करें)

11. छत्तीसगढ़ का स्थायी/मूल निवासी है (हां/नही):..
(सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)

12. क्या आप दिव्यांग श्रेणी के है (हां/नही) :..

13. आवेदक किस प्रकार की निःशक्तता से बाधित है:..
(श्रवण/दृष्टि/अस्थि/अन्य)
(सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)

14 स्थायी निवास का पता :..

:..

:.. पिन कोड ....

15 पत्र व्यवहार का वर्तमान पता :..

:..

:.. पिन कोड ....

16. शैक्षणिक योग्यता :-

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड/स्कूल/संस्था/स्कूल का नाम व पता	उत्तीर्ण वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

17. अर्हकारी परीक्षा में पूर्णांक/प्राप्तांक के जगह ग्रेड पद्धति से अगर मूल्यांकन किया गया है जिस संस्था/स्कूल से परीक्षा उत्तीर्ण की गयी है उनके प्रमुख से उक्त ग्रेड को पूर्णांक, प्राप्तांक एवं प्रतिशत में परिवर्तित कर प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत करेंगे जिस पर चयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

18. चयन के पूर्व समस्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के सत्यापन हेतु मूल दस्तावेज/प्रमाण पत्रों के साथ अभ्यर्थी को बुलवाया जा सकेगा जिस पर चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा।

19. क्या आप शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में वर्तमान में सेवारत है (हां/नही)

अ - धारित पद का नाम :- ....

ब - कार्य की अवधि :- दिनांक .... से .... तक कुल अवधि .... वर्ष ....

स - नियोक्ता/ कार्यालय का नाम पता :...

:...

20. क्या आप भूतपूर्व सैनिक है ? यदि हा तो विवरण देवें :...

21. वैवाहिक स्तर एवं विवाह दिनांक (हां/नही) :....................................... विवाह दिनांक ....

(विवाह की तिथि अंकित करें)

22. जीवित संतानों की कुल संख्या :....................................... जन्म तिथि ....

23. दिनांक 26.01.2001 को या उसके पश्चात् जन्म लिये बच्चों की संख्या :...

(दो से अधिक जीवित संतान होने की स्थिति में पात्रता संबंधी शपथ पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करें)

24. क्या आवेदक/आवेदिका के विरूद्ध कोई :...
दाण्डिक प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय :...
से अनुसंधान/विचारण हेतु लंबित है अथवा :...
किसी न्यायालय में निराकृत हो चुका है ? हॉ तो संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक एवं निर्णय आदि की जानकारी स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।

25. आवेदित पत्र के साथ किये जा रहे सत्यापित दस्तावेजों का विवरण :-

1.	2. ....
3.	4. ....
5.	6. ....
7.	8. ....
9.	10. ....

आवेदक के हस्ताक्षर

// घोषणा-पत्र //

मैं .... आत्मज/आत्मजा/पति श्री ....

एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ, कि उपरोक्त आवेदन पत्र में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम विश्वास और ज्ञान के अनुसार सत्य पूर्ण है। मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी चयन के पूर्व या उसके बाद गलत अथवा असत्य पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी निरस्त हो जायेगी। यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा तथ्य छुपाये जाने अथवा गलत तथ्य प्रस्तुत करने की स्थिति में या नियुक्ति हेतु किसी प्रकार की अपात्रता का प्रमाण मिलने पर मेरा चयन/नियुक्त निरस्त की जा सकेगी तथा नियुक्ति संबंधी मेरे सभी दावे समाप्त हो जायेगी।

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम :..

मोबाईल नं. :..

स्थान :...................................

दिनांक :...................................